संख्या-21/2022/ 77-3002(003)/11/2021/001-644-2022

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 25 मई, 2022**

विषय:- डिफेन्स कॉरिडोर की स्थापना हेतु जनपद कानपुर के ग्राम साढ़, तहसील घाटमपुर में परियोजना हेतु अधिग्रहीत भूमि की सुरक्षा हेतु स्टोन बाउण्ड्री पिलर एवं ऑटोक्लेब्ड ऐरियेटेड सीमेन्ट ब्लॉक मेसनरी द्वारा बाउण्ड्री वॉल के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युकत विषयक यूपीडा के पत्रांक 306/यूपीडा-992/डिफे0कॉरि0/तकनीकी दिनांक 29.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखानुदान के अनुदान संख्या-7 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सडक निर्माण कार्य-08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर-24-वृहद निर्माण कार्य" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 40000.00 लाख में से डिफेंस कारिडोर के कानपुर नोड के विकास हेतु जनपद कानपुर के ग्राम साढ तहसील घाटमपुर में अधिग्रहीत भूमि की सुरक्षा हेतु स्टोन बाउण्ड्री पिलर एवं ऑटोक्लेब्ड ऐरियेटेड सीमेन्ट ब्लॉक मेसनरी द्वारा बाउण्ड्री वॉल के निर्माण कार्य हेतु रू0 950.13 लाख (रू0 नौ करोड पचास लाख तेरह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
2. यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु वित्त आय व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30.12.2021 तथा शासनादेश दिनांक 29.03.2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण तया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,50,13,000 (रुपये नौ करोड़ पचास लाख तेरह हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-14-X-2022-23-दिनांक:24-5-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-21/2022/ 77-3002(003)/11/2021/001-644-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय , उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक, वितीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
6. वित्त ई-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in